

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, जयपुर
क्रमांक एफ.(7)(02916)ए.सी.आर./सा.न्याअवि./2026/ जयपुर दिनांक:- यथा ई-हस्ताक्षरित

—:कार्यालय आदेश:—

कार्मिक विभाग (क-1/गो0प0) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र राजकाज रै. न. 22522563 दिनांक 01.06.2026 की पालना में निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा बाल अधिकारिता विभाग एवं विभाग के अधीन संचालित समस्त कार्यालयों में कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि जिनके द्वारा विगत वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन राजकाज एसीआर पोर्टल पर ऑनलाईन नहीं भरे गये हैं, वे अधिकारी/कर्मचारी विगत वर्षों के लंबित वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन राजकाज पोर्टल पर दिनांक 30.06.2026 तक अनिवार्य रूप से भरना सुनिश्चित करें।

समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 30.06.2026 के पश्चात किसी भी कार्मिक की एसीआर निदेशालय से initiate नहीं की जावेगी। एसीआर नहीं भरे जाने की स्थिति में होने वाले प्रभाव के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(पंकज कुमार ओझा)

अति. निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन)

क्रमांक एफ.(7)(02916)ए.सी.आर./सा.न्याअवि./2026/

जयपुर दिनांक:- यथा ई-हस्ताक्षरित

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, कार्मिक विभाग (क-1/गो.प्र.) शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक/आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/ विशेष योग्यजन/बाल अधिकारिता, जयपुर।
4. निजी सचिव, अति. निदेशक (सत. एवं प्रशासन), सान्याअवि/बाल अधिकारिता विभाग/विशेष योग्यजन (प्रशाखा प्रभारी) जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
6. निजी सहायक, उप निदेशक (कार्यालय प्रशासन), सान्याअवि, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/ सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी समस्त/अधीक्षक, समस्त राजकीय गृह सान्याअवि/ बाल अधिकारिता विभाग/विशेष योग्यजन.....
8. समस्त जिलाधिकारी एवं समस्त ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी.....।
9. संस्थापन प्रशाखा (पी-1 से पी-5) पदोन्नति प्रशाखा/जांच प्रशाखा मुख्यावास को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. संस्थापन अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी/अति. प्रशासनिक अधिकारी लेखाकार भुगतान प्रशाखा मुख्यावास।
11. संयुक्त निदेशक आई.टी. मुख्यावास को वेबसाइट पर संधारित किये जाने हेतु।
12. आदेश पत्रावली।

अति. निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन)